बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–109/2016– 158 पटना, दिनांक– 7-3-17

श्री बदरूल दोजा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मंझौल एवं टेकनपुरा प्रमंडल, बेगुसराय के विरूद्व संसुचित आरोपों यथा संवेदक को अनियमित रूप से लाभ पहुंचाने, मंझौल एवं टेकनपुरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा मापी–पुस्तिका में गलत माप अंकित करने आदि से संबंधित आरोपों की जांच करायी गयी। उक्त जांच प्रतिवेदन में श्री दोजा, कनीय अभियंता मंझौल एवं टेकनपुरा के विरूद्व प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय के पत्रांक–903 दिनांक–20.08.16 द्वारा श्री दोजा के विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री बदरूल दोजा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मंझौल एवं टेकनपुरा प्रमंडल, बेगुसराय के विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में गठित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं मो0 मंसूर नसीर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित श्री दोजा, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. **आदेश:**– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री बदरूल दोजा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मंझौल एवं टेकनपुरा, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बगहा, बेतिया, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मो0 मंसूर नसीर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को दी जाय।

7.3.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5 / आ0–4–109 / 2016– 158 पटना, दिनांक– 7 - 3 . 17

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मो0 मंसूर नसीर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5 / आ0–4–109 / 2016– 158 पटना, दिनांक– 7 . 3 . 17

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 1, 2 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव